संख्या- /2021/1740ई-2/तेरह-2021-1455303

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः सितम्बर,2021

विषय- **मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., हरगांव आसवनी,जनपद-सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर से बढ़ाकर 160 कि.ली प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-36/दो-प्रा.डी.-30 दिनांक 25-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 . इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 25-08-2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., हरगांव आसवनी, जनपद-सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर से बढ़ाकर 160 कि.ली प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने एवं विस्तारित की जाने वाली क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मॉंग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट अथवा अब्सोल्यूट अल्कोहल का निर्माण एवं बिक्री किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा स्टेट लेवेल इन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आबकारी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बनाये गये/विद्यमान सुसंगत नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कायर्वाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।